राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 1(3)त.शि. / 2019 जयपुर, दिनांक, 01 जून, 2021

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

रजिस्ट्रार,
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

प्राचार्य,
माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा।

एसपीए, टैक्यूप–III
झालाना डुँगरी, जयपुर।

रजिस्ट्रार,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड,कोटा।

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर / महिला
अजमेर / झालावाड / भरतपुर / बीकानेर / बांसवाड़ा / करौली / धौलपुर / बांरा / बाड़मेर।

निदेशक,
सीईजी, झालाना डूंगरी, जयपुर।

विषयः–त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन दिशा–निर्देश बाबत्।
संदर्भः– गृह विभाग राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 23.05.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.04.2021, दिनांक 06.05.2021 एवं दिनांक 23.05.2021 की निरन्तरता में ही दिनांक 31.05.2021 को जारी आदेश के द्वारा दिनांक 02.06.2021 बुधवार प्रातः 5:00 बजे से सम्पूर्ण प्रदेश में त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन के दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

अतः गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक पं. 7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 31.05.2021 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 09:30 से सांय 04:00 बजे तक अनुमत होगें। तथा 07.06.21 से सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होगें।

निर्देशानुसार उर्पयुक्त यह भी सुनिश्चित करे कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले कार्मिकों के अलावा शेष कार्मिक मुख्यालय स्तर पर ही रहें तथा वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य सम्पादित करें।

भवदीय
Sd –
(राजेश कुमार चौहान)
संयुक्त शासन सचिव, त.शि.

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान, राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
5. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा।
6. सहायक शासन सचिव को भेजकर लेख है कि विभाग में गाईडलाईन के अनुरूप कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

1/6/2021
(एम. ए. पठान)
प्रभारी अधिकारी, तकनीकी शिक्षा